न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 17/2013 – निगरानी

1. श्री गिरधारी लाल आत्मज गणेश बलाई निवासी जगपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा 2. श्री रणजीत सिंह आत्मज रडमलसिंह राजपुत निवासी जगपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. श्री भगवत सिंह उर्फ भगवान सिंह आत्मज गुलाब सिंह राजपुत निवासी जगपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा – गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत जगपुरा आदेश दिनांक 25.02.1974 वास्ते पटटा निरस्तीकरण ग्राम जगपुरा , तहसील आसीन्द

उपस्थितिः–

1. श्री मोहन लाल असावा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री आदित्य नारायण अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01की ओर से
3. श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.02.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 11.03.2013 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम जगपुरा आबादी एरिया में एक भूखण्ड जो दुग्ध डेयरी के सामने स्थित है , जिसका नाप पूर्व से पश्चिम 250 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 60 फीट है । जिसके पड़ौस पूर्व –रास्ता, पश्चिम –पड़त भूमि, उत्तर – बरालिया गांव का रास्ता , दक्षिण – पड़त भूमि स्थित हैं । यह पड़ौस जो फर्जी पटटा दिनांक 25.02.1974 का जो केसरसिंह आत्मज नाथूसिंह राजपुत निवासी जगपुरा जो विपक्षी का पिता होना बताते है । पंचायत के द्वारा भूमि देकर जारी होना बताया गया है , जबकि उक्त भूखण्ड के मौजूदा पड़ौस उत्तर – रोड, दक्षिण – जेंतुन पत्नी रमजान मोहम्मद नीलगर का मकान , पूर्व – आम रास्ता , पश्चिम – सलीम मोहम्मद मुसलमान का मकान स्थित है । तथाकथित पटटे पर न तो क्रमांक नम्बर है तथा न ही वर्ष दर्ज हैं । पंचायत के पत्रावली सं. 13 दिनांक 17.4.1973 को ऐसा कोई पटटा इस क्रम से जारी नहीं किया गया है , न ही जमीन दी गयी है, न रोकड़ पाना 2 दिनांक 20.02.1974 पंचायत रोकड़ में 37/–रू. जमा होना ही पाया गया । न इस पटटे पर

सरपंच प्रतापसिंह व सचिव देबीलाल शर्मा के हस्ताक्षर ही है , जो हस्ताक्षर पटटे पर है, वह फर्जी हस्ताक्षर है । इसके साथ पंचायत द्वारा जारी किये गये पटटे जिस पर सरंपच प्रतापसिंह एवं सचिव देबीलाल शर्मा के हस्ताक्षर किये गये हैं , जो असल हस्ताक्षर हैं। सचिव देबीलाल शर्मा ने उक्त विवादित पटटे पर अपने हस्ताक्षर होने से एवं सरपंच प्रतापसिंह के हस्ताक्षर होने से इन्कार किया और कहा कि यह हस्ताक्षर फर्जी बनाये गये है और कहा कि पटटा फर्जी है । तथाकथित प्लॉट सार्वजनिक है , कई वर्षों से सार्वजनिक कार्य होता आ रहा है । वर्षों से माताजी का नैजा जो दोनों नवरात्रि में निकलता है , उस दिन पूरे गांव के लोग इस भूखण्ड में इकट्ठे होते है और इस भूखण्ड में नैज निकालते है और नेजा को वहीं पर गाढते है और इसके अलावा भी गांव के अन्य सामाजिक कार्यों में उक्त भूखण्ड को काम में लिया जाता है । कानून के तहत किसी भूखण्ड को विक्रय करने के पहले जो व्यक्ति जमीन लेना चाहता है , उसके लिए प्रार्थनापत्र पेश किया जाता है , उसके बाद कमेटी में प्रस्तुत किया जाता है । यदि पंचायत भूखण्ड को बेचना चाहती है तो इश्तहार जारी किया जाता है , किसी व्यक्ति के ऐतराज करने पर उसे सुना जाता है । उसके बाद नीलामी कार्यवाही की जाती है , लेकिन उक्त भूखण्ड के संबंध में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही भूखण्ड पंचायत के द्वारा केसर सिंह को दिया गया , न पंचायत के द्वारा तथाकथित पटटा ही जारी किया गया । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर तथाकथित भूखण्ड का आंवटन व पटटा निरस्त फरमाया जावे और भूखण्ड जो सार्वजनिक है , को सार्वजनिक घोषित फरमाया जावे ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 01.05.2013 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये ।

गैर निगराकार की ओर से निगराकार की निगरानी के खण्डन में दिनांक 12.02.2014 को जवाब प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि उक्त वर्णित भूखण्ड केसर सिंह पुत्र नानु सिंह को ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय कर बापी पटटा दिनांक 25.02.1974 के जारी किया गया । इस भूखण्ड पर केसर सिंह के द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत से गैर निगराकार मालिक होकर काबिज है । पटटा पूर्ण रूप से सही है एवं विधिवत विक्रय कर जारी किया गया है । पटटे पर सरपंच व सचिव के फर्जी हस्ताक्षर नहीं है । उक्त प्लॉट किसी प्रकार सार्वजनिक नहीं है तथा किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यों में उपयोग नहीं आता है । इस संबंध में ग्राम पंचायत जगपुरा से भी दिनांक 21.02.2009 को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त किया है । यह निगरानी आधारहीन एवं

बिना किसी प्रावधानों के प्रस्तुत की गई है । 40 वर्ष पुराने विक्रय को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है । पटटे जैर बहस के आधार पर ही गैर निगराकार ने निगराकार के विरूद्व सिविल न्यायालय व.ख. गुलाबपुरा में वादपत्र प्रस्तुत कर रखा है , इस कारण पटटे के संबंध में न्याय निर्णयन सिविल न्यायालय में होना है एवं सिविल न्यायालय में प्रकरण लम्बित रहते हुए निगरानी चलने योग्य नहीं है ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत निगरानी के बिन्दु सं. 1 से लगायत 6 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विवादित आदेश दिनांक 25.02.1974 को अपास्त किया जावे । तथाकथित प्लॉट सार्वजनिक है , कई वर्षों से सार्वजनिक कार्य होता आ रहा है । वर्षों से माताजी का नैजा जो दोनों नवरात्रि में निकलता है , उस दिन पूरे गांव के लोग इस भूखण्ड में इकट्ठे होते है और इस भूखण्ड में नैज निकालते है और नेजा को वहीं पर गाढते है और इसके अलावा भी गांव के अन्य सामाजिक कार्यों में उक्त भूखण्ड को काम में लिया जाता है । कानून के तहत किसी भूखण्ड को विक्रय करने के पहले जो व्यक्ति जमीन लेना चाहता है , उसके लिए प्रार्थनापत्र पेश किया जाता है , उसके बाद कमेटी में प्रस्तुत किया जाता है । यदि पंचायत भूखण्ड को बेचना चाहती है तो इश्तहार जारी किया जाता है , किसी व्यक्ति के ऐतराज करने पर उसे सुना जाता है । उसके बाद नीलामी कार्यवाही की जाती है , लेकिन उक्त भूखण्ड के संबंध में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही भूखण्ड पंचायत के द्वारा केसर सिंह को दिया गया। न पंचायत के द्वारा तथाकथित पटटा ही जारी किया गया । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर तथाकथित भूखण्ड का आंवटन व पटटा निरस्त फरमाया जावे और भूखण्ड जो सार्वजनिक है , को सार्वजनिक घोषित फरमाया जावे। निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी के समर्थन में विधिक दृष्टान्त 2008(4)WLN page 641- 643 प्रस्तुत किये ।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त वर्णित भूखण्ड केसर सिंह पुत्र नानु सिंह को ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय कर बापी पटटा दिनांक 25.02.1974 को जारी किया गया । इस भूखण्ड पर केसर सिंह के द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत से गैर निगराकार मालिक होकर काबिज है । पटटा पूर्ण रूप से सही है एवं विधिवत विक्रय कर जारी किया गया है । पटटे पर सरपंच व सचिव के फर्जी

हस्ताक्षर नहीं है । उक्त प्लॉट किसी प्रकार सार्वजनिक नहीं है तथा किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यों में उपयोग नहीं आता है । इस संबंध में ग्राम पंचायत जगपुरा से भी दिनांक 21.02.2009 को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त किया है । यह निगरानी आधारहीन एवं बिना किसी प्रावधानों के प्रस्तुत की गई है । 40 वर्ष पुराने विक्रय को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है । पटटे जैर बहस के आधार पर ही गैर निगराकार ने निगराकार के विरूद्व सिविल न्यायालय व.ख. गुलाबपुरा में वादपत्र प्रस्तुत कर रखा है । इस कारण पटटे के संबंध में न्याय निर्णयन सिविल न्यायालय में होना है एवं सिविल न्यायालय में प्रकरण लम्बित रहते हुए निगरानी चलने योग्य नहीं है । गैर निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी के खण्डन में विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है – DNJ Raj. 2012(2) 602

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । निगराकार द्वारा प्रस्तुत ग्राम जगपुरा आबादी क्षैत्र में एक भूखण्ड 250 फीट x 60 फीट का बापी पटटा दिनांक 25.02.1974 केसर सिंह आत्मज नाथू सिंह राजपुत निवासी जगपुरा के नाम का ग्राम पंचायत जगपुरा द्वारा जारीसुदा है जिसकी सही प्रतिलिपि के अध्ययन करने पर यह पाया गया कि, इस पटटे पर न तो क्रमांक नम्बर है तथा न ही वर्ष दर्ज हैं । पत्रावली सं. 13 दिनांक 17.04.1973 में ग्राम पंचायत जगपुरा द्वारा रोकड़ पाना 2 दिनांक 20.02.1974 पंचायत की रोकड़ में 37/–रू0 जमा कर दिनांक 25.02.1974 को बापी पटटा जारी किया गया है । इस पटटे पर सरपंच प्रतापसिंह व सचिव देवीलाल शर्मा के हस्ताक्षर किये हुए हैं । इस पत्रावली में निगराकार द्वारा एक अन्य बापी पटटा श्री रड़मल सिंह पिता शक्ति सिह राजपूत निवासी जगपुरा के नाम जारी दिनांक 5.10.1972 में सचिव देवीलाल शर्मा के हस्ताक्षर एवं सरपंच प्रताप सिंह के हस्ताक्षर किये हुए है । बापी पटटा दिनांक 25.02.1974 एवं बापी पटटा दिनांक 5.10.1972 में सचिव देवीलाल शर्मा के हस्ताक्षर एवं सरपंच प्रतापसिंह के हस्ताक्षर में भिन्नता पायी जाती है। सचिव देवीलाल शर्मा ने बापी पटटा दिनांक 25.02.1974 में अपने हस्ताक्षर फर्जी होना रिपोर्ट दिनांक 09.03.2013 में अंकित किया है । उक्त दोनों बापी पटटा में सचिव एवं सरपंच ग्राम पंचायत जगपुरा के हस्ताक्षरों में भिन्नता होने से बापी पटटा दिनांक 25.02.1974 मे किये हुये सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सन्देहास्पद प्रतीत होते है। पटटा दिनांक 25.02. 1974 में अंकित भूमि सार्वजनिक होकर कई वर्षों से इस भूमि पर माताजी का नेजा दोनों नवरात्रि में निकलता है । इस भूखण्ड की भूमि में सार्वजनिक कार्य होते रहते है । प्रश्नगत भूखण्ड की भूमि का गैर निगराकार सं. 01 एवं उसके पिता ने कभी भी उपयोग उपभोग नहीं

किया है , न ही निर्माण कार्य किया है । इस भूखण्ड पर किसी का कब्जा नहीं है । केसर सिंह पिता नाथूसिंह राजपुत निवासी जगपुरा के नाम पर जो पटटा दिनांक 25.02.1974 को जारी करना बताया है , वह पटटा सन्देहास्पद है । इस भूखण्ड पर गैर निगराकार सं. 01 के द्वारा नाजायज कब्जा करने का प्रयास करने पर ग्रामवासियों ने दिनांक 19.02.2013 को शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम जगपुरा को सार्वजनिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया । राजस्व अधिकारी द्वारा इस भूखण्ड के मौके की जाँच में भूखण्ड का सार्वजनिक उपयोग किया जाना बताया गया है । निगराकार ने निगरानी प्रस्तुत कर ग्राम जगपुरा में केसर सिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी जगपुरा के नाम पर दिनांक 25.02.1974 को जारी किये गये पटटे को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है । इस पटटे के संबंध में ग्राम पंचायत जगपुरा की पत्रावली कमांक 13 दिनांक 17.4.1973 के बापी पटटा दिनांक 25.02.1974 पर तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत जगपुरा श्री देवीलाल शर्मा ने पटटे पर अंकित हस्ताक्षर स्वयं के नहीं होकर फर्जी हस्ताक्षर होना बताया है । श्री देवीलाल का यह भी कथन हैं कि तत्समय में यह पटटा ग्राम पंचायत जगपुरा द्वारा जारी नहीं किया गया था एवं तत्कालीन सरपंच श्री प्रतापसिंह के भी फर्जी हस्ताक्षर हैं। पूर्व सरपंच जगपुरा श्रीमती नानी देवी गुर्जर ने भी एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2013 को पेश करके यह कथन किया है कि उनके द्वारा इस भूखण्ड पर निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है । निर्माण स्वीकृति पर उसके फर्जी हस्ताक्षर हैं । पटटे के संबंध में विवादित स्थल का मौका पर्चा दिनांक 19.02.2013 को राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार कर विवादित स्थल सार्वजनिक उपयोग माताजी का नेजा हेतु उपयोग किया जाना जाहिर किया है । गैर निगराकार का मौके पर कब्जा न होकर उक्त विवादित स्थल का सार्वजनिक उपयोग माताजी के नेजा हेतु उपयोग किया जाना प्रथमतया प्रमाणित होता है । गैर निगराकार अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त बापी पटटे के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा यथास्थिति जारी की गयी है, लेकिन ऐसा आदेश न तो पत्रावली में उपलब्ध है और न ही गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है । सिविल कोर्ट में दावा दायर करवाने संबंधी दावा की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रकरण में समुचित सुनवाई उपरांत निर्णय पारित करने की अधिकारिता उक्त न्यायालय की ही है । ग्राम पंचायत जगपुरा से इस न्यायालय के पत्र कमांक /न्यायालय/प्र.सं 17/2013/निगरानी दिनांक 01.05.2013 से बापी पटटा की पत्रावली केसर सिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी जगपुरा दिनांक 25.02.1974 की मूल पत्रावली तलब की गयी । इस पत्र के संदर्भ में सरपंच ग्राम पंचायत जगपुरा ने अपने पत्र

दिनांक 13.5.2015 में जवाब में अंकित किया है कि वर्ष 1977 से पूर्व का अभिलेख ग्राम पंचायत जगपुरा में उपलब्ध नहीं है ।

केसर सिंह आत्मज नाथू सिंह राजपूत निवासी जगपुरा के नाम पर पत्रावली सं. 13 दिनांक 17.04.1973 में दिनांक 20.02.1974 को जो बापी पटटा जारी किया गया है , इस बापी पटटे में अंकित भूखण्ड की भूमि पर गैर निगराकार का कब्जा एवं निर्माण नहीं है। बापी पटटा पुराने गृहों के विनियमितीकरण हेतु ही जारी किया जाता हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 में पुराने गृहों के विनियमितीकरण के निम्न प्रावधान हैं– (1) जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक है एवं 300 वर्ग गज अधिकतम क्षैत्रफल के अध्यधीन रहते हुए वहां उन्हें इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व 50 वर्षों से अधिक पूर्व में सह निर्मित पुराने गृहों के लिए 100/–रू. की राशि जमा करके प्रारूप 23 (क) में पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा। जबकि प्रश्नगत पटटा दिनांक 25.02.1974 250 फीट x 60 फीट कुल क्षैत्रफल 15000 वर्ग फीट भूमि का हैं तथा 37/–रू. में जारी किया जाना बताया गया हैं । निगराकार द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त 2008(4)WLN page 641- 643 इस निगरानी के समर्थन में चस्पा होते है , जबकि गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त DNJ Raj. 2012(2) 602 इस निगरानी पर चस्पा नहीं होते हैं । प्रश्नगत उक्त बापी पटटा दिनांक 25.02.1974 अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है । अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत जगपुरा आदेश दिनांक 25.02.1974 के संबंध में निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं सरपंच ग्राम पंचायत जगपुरा द्वारा पत्रावली सं. 13 दिनांक 17.4.1973 में जारी बापी पटटा दिनांक 25.02.1974 को खारिज किया जाता है । निर्णय की प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे । आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/02/17

(एल.आर.गुर्जरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा